"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191-अ ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 अगस्त 2002—श्रावण 10, शक 1924

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2002

क्रमांक 06/04/2002/1126.—भारत निर्वाचन अयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 480/2002, दिनांक 1 अगस्त, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

**अजय सिंह,**
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

# भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 2002—श्रावण 10, 1924 (शक)

## अधिसूचना

सं. 480/2002 .—राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग 12 अगस्त, 2002 (सोमवार) को ऐसे दिन के रूप में नियत करता है जिसको उस दिन सायं 6.00 बजे उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2002 के लिए रिटर्निंग आफिसर कार्यालय में कमरा नम्बर 63, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में मतों की गणना की जाएगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(शरन पाल सिंह)
सचिव.

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the 1st August 2002— 10 Sravana, 1924 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 480/2002.—In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 12th August, 2002 (Monday), as the day on which and 6.00 p.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Vice-Presidential Election, 2002 shall take place in the office of the Returning Officer in Room No. 63, First Floor of the Parliament House, New Delhi.

By Order,

Sd/-
(SHARAN PAL SINGH)
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.